भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3771

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि विपणन में सुधार

3771. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार के नेतृत्व में कृषि विपणन में सुधारों को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए समन्वय और सहयोग प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इन सुधारों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे सुधारों को लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई या उनके समक्ष उपस्थित समस्याओं और उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में देश में कृषि विपणन को मजबूत करने के लिए आज की तिथि तक किए गए निजी और सार्वजनिक निवेश का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने-अपने संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) के लिए विकासात्मक नीतिगत उपाय करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डिजिटल एकीकरण के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करता है तथा उचित नीतिगत पहलों, बजटीय सहायता और योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की पूरक है। अब तक, 23 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों की कृषि उपज बाजार समितियां (एपीएमसी) ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एकीकृत हो चुकी हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1.89 करोड़ किसान और 2.78 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं और विभिन्न कृषि उत्पादों के 13.44 करोड़ एमटी का कुल व्यापार किया जा चुका है, जिसका मूल्य 4,91,160.71 करोड़ रुपये है।

एपीएमसी संबंधित राज्य सरकारों के अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, राज्य सरकारें निजी बाजारों की स्थापना, डायरेक्ट मार्केटिंग को बढ़ावा देना, गोदामों/सीलोज/कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड घोषित करना, बाजार शुल्क का सिंगल विंडो लेवी, फल एवं सब्जी मार्केट का विनियमन हटाना, बाजार शुल्क और कमीशन शुल्कों का युक्तिकरण आदि जैसे विभिन्न सुधारों को अपनाती हैं।

एग्रीकल्चर मार्केटिंग में निजी और सार्वजनिक निवेश का विवरण केंद्रीय स्तर पर रखा नही जाता है। तथापि, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) जैसी सरकारी योजनाओं ने एपीएमसी को पूंजी निवेश आकर्षित करने में सहायता प्रदान की है। एआईएफ के अंतर्गत, 18893 वेयरहाउस, 3110 कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन परियोजनाओं के साथ-साथ 2105 एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान के रूप में मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सहायता प्रदान की गई है। एएमआई के तहत, 50,249 भंडारण परियोजनाओं के लिए 4,849.20 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। इसके अलावा, एएमआई के तहत, 25081 'स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त' परियोजनाओं को भी 2,191.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करके सहायता प्रदान की गई है।
